

चिन्हौनी पुलिस ने पकड़ी दो लाख रुपये की अवैध शराब

-हिन्दुस्तान एक्सप्रेस न्यूज-

मुरैना। पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह सूचना मिली कि ग्राम तिन्दोखर में

पुराने कुरे के पास बने खण्ड घर में

चौहान द्वारा अवैध शराब एवं मादक

तलाशी ली गई एवं घर के बाहर रखे भर्से को हटाकर देखा तो वहां पर 08:32 बजे 111 एसी पुलिस की एवं 32 पेटी देशी प्लेन मदिरा कुल 40 पेटी अवैध शराब (368 लीटर) कुल कीमती करीबन 2 लाख रुपये की रखी हुई मिली। पुलिस द्वारा उक्त अवैध शराब की जब करार थाना लाया गया एवं उक्त दोनों आरोपिणों (जिनमें एक शराब तक्का था एक शराब विक्रेता) के विरुद्ध धारा 34(2) आवाकारी एकट के तहत प्रकरण पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रखा रहे हैं। आरोपिणों के विरुद्ध पूर्व में भी शराब विक्रेता एवं तस्करी के प्रकरण दर्ज हैं।

सराहनीय योगदान

उक्त कार्यवाची में निरीक्षक शशिकुमार

प्रभारी चिन्हौनी, उनि. पवन

भद्रिया उनि. एनपी गौड़, प्रधान

आक्षक शुभालता शर्मा, आक्षक

कोक सिंह, सोनेंद्र सिंह, ऋषि शर्मा,

संजय सिंह, अरुण सिंह, सुनील,

गोवर, आक्षक चालक जागेन्द्र सिंह

घर के पीछे के गास्टे से भाग गये।

दोपरांत पुलिस द्वारा उक्त स्थान की

दारोंग इलाका भ्रमण जरिये मुखियका

उददेश्य से रखे हुए हैं। मुखियका की

अधियान के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक मूरैना डॉ. अरविंद सिंह

ठाकुर के निदेशन एवं एसी डॉ. ओपी

कैलारस रवि सोनेर के मार्गदर्शन में

दिनांक 19.05.24 को निरीक्षक

शशिकुमार थाना प्रभारी चिन्हौनी को

आरोपिणों को आता देखकर

शराब विक्रेता के विरुद्ध धारा 34(2)

आवाकारी एकट के तहत प्रकरण

पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की

गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रहे हैं।

आरोपिणों के विरुद्ध पूर्व में भी शराब

विक्रेता के विरुद्ध धारा 34(2)

आवाकारी एकट के तहत प्रकरण

पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की

गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रहे हैं।

आरोपिणों के विरुद्ध पूर्व में भी शराब

विक्रेता के विरुद्ध धारा 34(2)

आवाकारी एकट के तहत प्रकरण

पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की

गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रहे हैं।

आरोपिणों के विरुद्ध पूर्व में भी शराब

विक्रेता के विरुद्ध धारा 34(2)

आवाकारी एकट के तहत प्रकरण

पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की

गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रहे हैं।

आरोपिणों के विरुद्ध पूर्व में भी शराब

विक्रेता के विरुद्ध धारा 34(2)

आवाकारी एकट के तहत प्रकरण

पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की

गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रहे हैं।

आरोपिणों के विरुद्ध पूर्व में भी शराब

विक्रेता के विरुद्ध धारा 34(2)

आवाकारी एकट के तहत प्रकरण

पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की

गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रहे हैं।

आरोपिणों के विरुद्ध पूर्व में भी शराब

विक्रेता के विरुद्ध धारा 34(2)

आवाकारी एकट के तहत प्रकरण

पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की

गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रहे हैं।

आरोपिणों के विरुद्ध पूर्व में भी शराब

विक्रेता के विरुद्ध धारा 34(2)

आवाकारी एकट के तहत प्रकरण

पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की

गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रहे हैं।

आरोपिणों के विरुद्ध पूर्व में भी शराब

विक्रेता के विरुद्ध धारा 34(2)

आवाकारी एकट के तहत प्रकरण

पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की

गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रहे हैं।

आरोपिणों के विरुद्ध पूर्व में भी शराब

विक्रेता के विरुद्ध धारा 34(2)

आवाकारी एकट के तहत प्रकरण

पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की

गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रहे हैं।

आरोपिणों के विरुद्ध पूर्व में भी शराब

विक्रेता के विरुद्ध धारा 34(2)

आवाकारी एकट के तहत प्रकरण

पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की

गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रहे हैं।

आरोपिणों के विरुद्ध पूर्व में भी शराब

विक्रेता के विरुद्ध धारा 34(2)

आवाकारी एकट के तहत प्रकरण

पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की

गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रहे हैं।

आरोपिणों के विरुद्ध पूर्व में भी शराब

विक्रेता के विरुद्ध धारा 34(2)

आवाकारी एकट के तहत प्रकरण

पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की

गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रहे हैं।

आरोपिणों के विरुद्ध पूर्व में भी शराब

विक्रेता के विरुद्ध धारा 34(2)

आवाकारी एकट के तहत प्रकरण

पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की

गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रहे हैं।

आरोपिणों के विरुद्ध पूर्व में भी शराब

विक्रेता के विरुद्ध धारा 34(2)

आवाकारी एकट के तहत प्रकरण

पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की

गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रहे हैं।

आरोपिणों के विरुद्ध पूर्व में भी शराब

विक्रेता के विरुद्ध धारा 34(2)

आवाकारी एकट के तहत प्रकरण

पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की

गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रहे हैं।

आरोपिणों के विरुद्ध पूर्व में भी शराब

विक्रेता के विरुद्ध धारा 34(2)

आवाकारी एकट के तहत प्रकरण

पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की

गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रहे हैं।

आरोपिणों के विरुद्ध पूर्व में भी शराब

विक्रेता के विरुद्ध धारा 34(2)

आवाकारी एकट के तहत प्रकरण

पंजीकरण किया गया। आरोपिणों की

गिरफ्तारी हेतु प्रयास

